

अहमदाबाद
की तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

सीन अधिकारी श्री मनोज कुमार गीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

संख्या :- 200/2023

निर्णय दिनांक :- 04.07.2025

उनवानी दावा:

1. रामप्रसाद पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवाती ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
2. हरचन्दा पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवाती ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3. रतनी पुत्री पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवाती ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक

—वादीगण—

बनाम

1. गोकली पुत्री भुवाना पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवासी ग्राम चांदथली तहसील सावर जिला केकड़ी
2. मथरा पुत्री भुवाना पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवासी ग्राम चांदथली तहसील सावर जिला केकड़ी
3. मनोहरी पुत्री भुवाना पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवासी ग्राम चांदथली तहसील सावर जिला केकड़ी
4. सीताराम पुत्र भुवाना पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवासी ग्राम चांदथली तहसील सावर जिला केकड़ी
5. मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
6. सीता पुत्री जुवाना जाति कुमावत निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
7. तहसीलदार जी देवली
8. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा देवली
9. शाखा प्रबंधक, बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा थांवला तह. देवली

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीया

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9

दावा बाबत बंटवारा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 24.12.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में तहसीलदार देवली से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक:- भू अ. 2294 दिनांक 11.06.2025 से प्राप्त हुई।

कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया और अन्तिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की।

dw
4.7.2025

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया जो तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2072-75 खाता संख्या 264 ख. नं. 516 रकबा 0.65 है0, ख. नं. 517 रकबा 0.60 है0, ख. नं. 518 रकबा 0.56 है0 किता 3 कुल रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम मालेड़ा तहसील देवली जिला टोक के विभाजन हेतु, तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।


अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :-

खाता संख्या 264 वाके ग्राम मालेड़ा पटवार हल्का मालेड़ा देवली भू. अभि. नि. क्षेत्र मालेड़ा तहसील देवली :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1.	रामप्रसाद पुत्र भुवाना हि. 1/3 राहिन बी.ओ.बी देवली रतनी पुत्री भुवाना हि. 1/3 राहिन बी.ओ.बी देवली हरचन्दा पुत्र भुवाना हि. 1/3 जाति कुमावत सा. चांदथली खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन से दर्शित	516	0.60	4.80
	योग	किता-1	0.60	4.80
2.	मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल हि. 1/2 सीताराम पुत्र सीता गोकली मथरा मनोहरी पुत्री जुवाना हि. 1/2 जाति कुमावत सा. चांदथली जाति कुमावत खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद (रिक्त) रंग से दर्शित	516	0.05	0.40
		517	0.60	4.80
		518	0.56	4.48
	योग	किता-3	1.21	9.68

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के वाद पत्र उक्त हिस्से अनुसार आराजियात मे वादीगण के हिस्से में वादीगण को फसल बोने, काटने, उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार मजामहत. नही करे और पालना तक पाबन्द रहे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 04.07.2025 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

उनवानी दावा:

1. रामप्रसाद पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवाती ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
2. हरचन्दा पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवाती ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3. रतनी पुत्री पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवाती ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक

—वादीगण—

बनाम

1. गोकली पुत्री भुवाना पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवासी ग्राम चांदथली तहसील सावर जिला केकड़ी
2. मथरा पुत्री भुवाना पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवासी ग्राम चांदथली तहसील सावर जिला केकड़ी
3. मनोहरी पुत्री भुवाना पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवासी ग्राम चांदथली तहसील सावर जिला केकड़ी
4. सीताराम पुत्र भुवाना पुत्र भुवाना जाति कुमावत आयु बालिग निवासी ग्राम चांदथली तहसील सावर जिला केकड़ी
5. मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
6. सीता पुत्री जुवाना जाति कुमावत निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
7. तहसीलदार जी देवली
8. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा देवली
9. शाखा प्रबंधक, बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा थांवला तह. देवली

—प्रतिवादीगण—

उपरिस्थिति :-

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीया

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9

दावा बाबत बंटवारा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 200 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू. मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रुबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि

आदेश

dw
4.7.2025

जमाबंदी सम्वत् 2072-75 खाता संख्या 264 ख. नं. 516 रकबा 0.65 ख. नं. 517 रकबा 0.60 है, ख. नं. 518 रकबा 0.56 है किता 3 कुल रकबा 1.81 है वाके ग्राम मालेडा तहसील देवली जिला टोक के विभाजन हेतु, तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :-

खाता संख्या 264 वाके ग्राम मालेडा पटवार हल्का मालेडा देवली भू. अभि. नि. क्षेत्र मालेडा तहसील देवली :-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान
1.	रामप्रसाद पुत्र भुवाना हि. 1/3 राहिन बी.ओ.बी देवली रतनी पुत्री भुवाना हि. 1/3 राहिन बी.ओ.बी देवली हरचन्दा पुत्र भुवाना हि. 1/3 जाति कुमावत सा. चांदथली खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन से दर्शित	516	0.60	4.80
	योग	किता-1	0.60	4.80
2.	मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल हि. 1/2 सीताराम पुत्र सीता गोकली मथरा मनोहरी पुत्री जुवाना हि. 1/2 जाति कुमावत सा. चांदथली जाति कुमावत खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद (रिक्त) रंग से दर्शित	516	0.05	0.40
		517	0.60	4.80
		518	0.56	4.48
	योग	किता-3	1.21	9.68

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के वाद पत्र उक्त हिस्से अनुसार आराजियात मे वादीगण के हिस्से में वादीगण को फसल बोने, काटने, उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार मजामहत नही करे और पालना तक पाबन्द रहे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज

की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 07 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त

उपरखण्ड अधिकारी
देवली

मुहर

ओहदा

मुद्रई	रु.	पै.	मुद्रदायलह	रु.	पै.

अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

[Handwritten Signature]
4.7.2025